बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–10/न0वि0/निर्वाचन–03/2022– 1081 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक– 19.04.2022

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) की धारा 14 के अध्यधीन नगरपालिका निर्वाचन के सम्यक संपादन हेतु बिहार राज्यपाल निम्नलिखित बिहार नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2022 बनातें हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली ''बिहार नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 2 का संशोधन।**–

(i) उक्त नियमावली का नियम 2 (ड़) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

2 (ड़)–''सामान्य निर्वाचन से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा 6 के अधीन पार्षद के पदों एवं धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों के लिए किया गया निर्वाचन''।

(ii) उक्त नियमावली का नियम 2 (ज़) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

2 (ज़)–''प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली में उपवर्णित प्रपत्र, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। नियमावली के प्रपत्र 11, प्रपत्र 12, प्रपत्र 13, प्रपत्र 14 (क), प्रपत्र 14 (ख), प्रपत्र 15, प्रपत्र 16, प्रपत्र 17, प्रपत्र 18 (क), प्रपत्र 18 (ख), प्रपत्र 19, प्रपत्र 20, प्रपत्र 23 (क), प्रपत्र 23 (ख), प्रपत्र 24 (क), प्रपत्र 24 (ख) एवं प्रपत्र 26 संलग्न प्रपत्र अनुसार संशोधित हो जायेंगे।

3. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 30 का संशोधन।**–
उक्त नियमावली के नियम 30 में आये शब्द ''मुख्य पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के भाग IV के शीर्षक एवं नियम 40 का संशोधन।**–
उक्त नियमावली के भाग IV के शीर्षक एवं नियम 40 के उप नियम (1) में आये शब्द ''पार्षदों'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 42 का संशोधन।**–

(i) उक्त नियमावली के नियम 42 का उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम वार्ड की मतदाता सूची में निबंधित है और जो मतदान करने हेतु अर्हित है और जो अधिनियम के अधीन अभ्यर्थी के रूप में किसी अयोग्यता के अधीन नहीं है, वह नगर निकाय में भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या के अनुसार उतने नामांकन पत्रों में प्रस्तावक या समर्थक के रूप में कार्य कर सकता है, किन्तु उससे अधिक नहीं।

(ii) उक्त नियमावली के नियम 42 का उप नियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

कोई व्यक्ति पद विशेष हेतु एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है।

(iii) उक्त नियमावली का नियम 42 का उप नियम (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

कोई व्यक्ति जो किसी वार्ड विशेष से स्वयं अभ्यर्थी है, वह उसी वार्ड से किसी दूसरे अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है। मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का अभ्यर्थी उस पद विशेष के लिए दूसरे अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है।

(iv) उक्त नियमावली के नियम 42 का उप नियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

वार्ड विशेष से किसी अभ्यर्थी के लिए कोई प्रस्तावक या समर्थक स्वयं उस वार्ड से अभ्यर्थी नहीं हो सकता है। मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थी के लिए कोई प्रस्तावक या समर्थक उस पद विशेष के लिए स्वयं अभ्यर्थी नहीं हो सकता है।

6. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 43 का संशोधन।–**

(i) उक्त नियमावली के नियम 43 का उप नियम (1) (घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

नगर पंचायत/नगर परिषद् एवं नगर निगम में पार्षद के पद हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिलाओं के लिए क्रमशः दो सौ रूपये, पाँच सौ रूपये एवं एक हजार रूपये का सरकारी चालान अथवा नाजीर रसीद तथा नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम में पार्षद के पद हेतु क्रमशः चार सौ रूपये, एक हजार रूपये एवं दो हजार रूपये का सरकारी चालान अगर अभ्यर्थी वैसे वर्गों का सदस्य नहीं है। इसी तरह नगर पंचायत/नगर परिषद् एवं नगर निगम में मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के पद हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए क्रमशः चार सौ रूपये, एक हजार रूपये एवं दो हजार रूपये का सरकारी चालान अथवा नाजिर रसीद तथा नगर पंचायत नगर परिषद् एवं नगर निगम में मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पद हेतु क्रमशः आठ सौ रूपये, दो हजार रूपये एवं चार हजार रूपये का सरकारी चालान अथवा नाजिर रसीद जमा करना होगा, अगर अभ्यर्थी वैसे वर्गों का सदस्य नहीं है।

(ii) उक्त नियमावली के नियम 43 के उप नियम (2) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

परन्तु यह कि जहाँ उसी वार्ड से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र भरा गया है, वहाँ उससे एक से अधिक फी की अपेक्षा नहीं की जाएगी। मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पद से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र भरा गया है, वहाँ उससे एक से अधिक फी की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

7. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 46 का संशोधन।–**

(i) उक्त नियमावली के नियम 46 का उप नियम (1) (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

कि पार्षद पद हेतु प्रस्तावक या समर्थक का नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में निबंधित नहीं है जहाँ के लिए अभ्यर्थी नामांकित किया गया है तथा मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के पद हेतु प्रस्तावक या समर्थक का नाम उस नगर निकाय के किसी वार्ड की मतदाता सूची में निबंधित नहीं है; या

(ii) उक्त नियमावली के नियम 46 का उप नियम (1) (vii) (घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

जमा की गई फी का चालान अथवा रसीद अथवा आयोग द्वारा निर्धारित विधि से ऑनलाईन माध्यम से जमा की गई राशि की प्राप्ति रसीद।

8. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 50 का संशोधन।–

उक्त नियमावली के नियम 50 के उप नियम (1) में आये शब्द "किसी वार्ड में" विलोपित किया जायेगा।

9. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 51 का संशोधन।–

उक्त नियमावली के नियम 51 का उप नियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

अगर किसी वार्ड/नगर निकाय के चुनाव में कोई भी विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थी न हो तो राज्य निर्वाचन आयोग नियम 40 में निर्दिष्ट तरीके से उस वार्ड/नगर निकाय से उक्त सीट को उसे तिथि के पूर्व भरने हेतु कह सकेगा जो इस संबंध में उसके द्वारा नियत किया जाए;

परन्तु यह कि जहाँ इस उप नियम के अधीन किसी रिक्ति को भरने हेतु किसी व्यक्ति का चुनाव करने में असफल रहे, तब निर्वाची पदाधिकारी उस रिक्ति के विरूद्ध पुनः निर्वाचन कराने के लिए कहने हेतु तबतक बाध्य नहीं होगा जब तक कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोई तिथि नियत नहीं कर दी जाए।

10. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 53 का संशोधन।–

उक्त नियमावली के नियम 53 के उप नियम (1) एवं (2) में आए शब्द "निर्वाची पदाधिकारी" को शब्द "जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 56 का संशोधन।–

उक्त नियमावली के नियम 56 के उप नियम (1) में आए शब्द "निर्वाचन अभिकर्त्ता" को शब्द "मतदान अभिकर्त्ता से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 63 का संशोधन।–

उक्त नियमावली के नियम 63 का उप नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथा निर्देशित अभिलेखों/कागजातों/प्रमाण–पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित करायेगा।

13. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 64 का संशोधन।–

उक्त नियमावली के नियम 64 में आए शब्द "इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र" शब्द "मतदाता फोटो पहचान पत्र" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

14. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 69 का संशोधन।–**

(i) उक्त नियमावली के नियम 69 का उप नियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

इस नियमावली अथवा उप नियम (2) के अधीन मतदाता की बायीं तर्जनी के प्रति जो निर्देश दिया गया है वह उसे बायें हाथ की किसी दूसरी अंगूली के प्रति निर्देश समझा जायेगा, यदि उसकी बायीं तर्जनी न हो; यदि उसके बायें हाथ में कोई अंगूली न हो तो यह निर्देश दाहिने हाथ की तर्जनी या दूसरी अंगूली के प्रति निर्देश समझा जायेगा तथा यदि दोनों हाथों की सभी अंगूलियां गायब हो तो उसकी दाहिनी या बायीं भुजा का जो भी छोर हो, उसके प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(ii) उक्त नियमावली के नियम 69 का उप नियम (6) (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

किसी निर्वाचन में मतदान करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के मतप्रयोग की हकदारी के संबंध में निर्णय लेने में पीठासीन पदाधिकारी मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में मात्र लिपिकीय या मुद्रण भूलों को नजरअंदाज कर सकता है।

15. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 70 का संशोधन।–**

उक्त नियमावली के नियम 70 के उप–नियम (1) (क) में शब्द "किसी एक" को विलोपित किया जाएगा।

16. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 71 का संशोधन।–**

उक्त नियमावली के नियम 71 का उप नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

अगर पीठासीन पदाधिकारी संतुष्ट हो कि दृष्टिहीनता अथवा अन्य शारीरिक निःशक्तता के कारण कोई मतदाता मतपत्र में अंकित प्रतीक चिन्ह को पहचानने अथवा बिना किसी सहायता के मतदान करने में असमर्थ हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी उस मतदाता को अपने साथ मतदान प्रकोष्ठ तक 18 वर्ष की आयु से अन्यून एक सहयोगी को, जो उसकी तरफ से उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अंकित करेगा, ले जा सकने एवं उसे मोड़ कर, ताकि मत छिपा रहे, मतपेटी में डालने अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की दशा में मत रिकार्ड करने की अनुमति देगा;

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को उसी दिन किसी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी;

परन्तु यह भी कि इस नियमावली के अधीन अगर निर्वाचन के दिन किसी व्यक्ति को सहयोगी बनने की अनुमति दी गई तो उस व्यक्ति को प्रपत्र 18 (क) में यह घोषणा करनी होगी कि वह उसके द्वारा दिये गये मतदाता के मत को गुप्त रखेगा तथा उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी दूसरे मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।

17. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 73 का संशोधन।–**

उक्त नियमावली के नियम 73 के उप नियम (1) में शब्द "अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्त्ता" को शब्द "अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता" से प्रतिस्थापित किया जायेगा

18. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 78 का संशोधन।–**

उक्त नियमावली का नियम 78 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

मतपत्र एवं पेपरसील का लेखा।–मतदान बन्द होने पर पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र 23 (क) में मतपत्र लेखा एवं प्रपत्र 23 (ख) में पेपरसील लेखा तैयार करेगा और उन्हें पृथक लिफाफों में रखेगा और उनके उपर "मतपत्र लेखा"/"पेपरसील लेखा" लिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होने की दशा में मतपत्र एवं पेपरसील का लेखा प्रपत्र 23 (ग) में तैयार किया जायेगा।

19. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 81 का संशोधन।–**

(i) उक्त नियमावली का नियम 81 (छ) (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त सभी मतपेटियों में सम्मिलित मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी वार्डवार प्रपत्र 24 (ख) में परिणाम–पत्र में प्रविष्टियाँ करेगा तथा उनके विवरण घोषित करेगा। उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद के वार्डवार प्रपत्र 24 (ख) में प्राप्त मतों की समेकित विवरणी प्रपत्र 24 (ग) में तैयार की जायेगी।

(ii) उक्त नियमावली के नियम 81 (ज) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
प्रत्येक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्रों एवं प्रतिक्षेपित किये गये मतपत्रों का अलग अलग बंडल बनाया जायेगा एवं उन बंडलों को अलग पैकेट में रखा जायेगा, जो निर्वाची पदाधिकारी के सील द्वारा मुहरबंद किया जायेगा एवं इसपर वैसे अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता, अगर कोई हो एवं जो बंडलों एवं पैकेट पर अपना सील लगाना चाहें, भी अपनी सील लगा सकेंगे तथा निम्न विवरण अंकित किया जायेगा, यथा–

(i) पद का नाम;

(ii) वार्ड का नाम;

(iii) मतदान केन्द्र का विवरण, जहाँ मतपत्र प्रयुक्त किये गये हैं; और

(iv) गणना की तिथि।

20. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 85 का संशोधन।–**

उक्त नियमावली के नियम 85 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन/ई0–वोटिंग से मतदान कराये जाने की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।–(1) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन–मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किये जाने की स्थिति में मतदान, मतों की रिकार्डिंग एवं गणना, मशीन को सीलबंद करना एवं परिणाम की घोषणा आदि हेतु अपनाई जानेवाली प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी;

परन्तु जहाँ तक व्यवहारिक हो, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जायेगा, वहाँ कन्ट्रोल यूनिट में विभिन्न अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा जिस प्रकार प्रदर्शित है, उसी प्रकार की एक सारणी बना कर सभी डेटा की हार्ड कॉपी बना ली जायेगी तथा उस कॉपी पर सभी उपस्थित अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेकर एक गॉज लिफाफे में रख दिया जायेगा तथा उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को विशेष रूप से आपूरित सेक्रेट सील से सीलबन्द कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रख दिया जायेगा। उक्त सीलबन्द लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई नियम 89 के अध्यधीन की जायेगी। आयोग द्वारा आपूरित सेक्रेट सील निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 36 घण्टे के अन्दर आयोग को निश्चित रूप से वापस कर दी जायेगी।

(2) ई0–वोटिंग–मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इतर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यथा लैपटॉप, पामटॉप, एंड्रायड/आई0ओ0एस0 आधारित स्मार्ट फोन, सर्वर आदि का उपयोग किए जाने की स्थिति में मतदान, मतों के रिकार्डिंग एवं गणना, सर्वर पर संग्रहित दर्ज मतदान को कूटबद्ध सुरक्षा उपयोग द्वारा लॉक करना एवं परिणाम की घोषणा आदि हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विर्निदिष्ट की जायेगी;

परन्तु जहाँ तक व्यवहारिक हो, जहाँ मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इतर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जायेगा, वहाँ सर्वर में विभिन्न अभ्यर्थियों से

संबंधित डेटा जिस प्रकार प्रदर्शित है, उसी प्रकार की एक सारणी बनाकर सभी डेटा की हार्ड कॉपी बना ली जायेगी तथा उस कॉपी पर सभी उपस्थित अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेकर एक गॉज लिफाफे में रख दिया जायेगा। इसके साथ ही उक्त डेटा को अनऐडीटेबल फार्मेट में वाह्य हार्ड डिस्क में भी कॉपी कर ली जायेगी। हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी एवं कॉपी किये गये हार्ड डिस्क को एक साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को विशेष रूप से आपूरित सेक्रेट सील से सीलबंद कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रख दिया जायेगा। उक्त सील बंद लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टिकरण की कार्रवाई नियम 89 के अधीन की जायेगी। आयोग द्वारा आपूरित सेक्रेट सील निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 36 घंटे के अन्दर आयोग को निश्चित रूप में वापस कर दी जायेगी।

21. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 87 का संशोधन।–**
उक्त नियमावली का नियम 87 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
निर्वाचित मुख्य पार्षदों, उपमुख्य पार्षदों एवं पार्षदों के नामों का प्रकाशन।–जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 86 के उपनियम (1) के अधीन उसे प्रतिवेदित नगरपालिका के सभी मुख्य पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों एवं सभी पार्षदों के नाम अपने कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय, नगरपालिका के कार्यालय एवं अन्य ऐसे स्थानों में, जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा तथा उसकी एक प्रति अथवा इस तरह प्रकाशित नामों की सूची राज्य सरकार को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु तथा राज्य निर्वाचन आयोग को संसूचित करेगा।

22. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 89 का संशोधन।–**
उक्त नियमावली के नियम 89 के उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
निर्वाचन से संबंधित अन्य कागजात अगले सामान्य चुनाव तक सुरक्षित रखे जायेंगे एवं राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यधीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

23. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 97 का संशोधन।–**
उक्त नियमावली का नियम 97 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन में नियम 93 से नियम 96 तक में वर्णित प्रक्रिया लागू होगी।

24. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 100 का संशोधन।–**
उक्त नियमावली के नियम 100 का उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–
कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा किसी वार्ड में निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन में निम्नलिखित राशि से अधिक कोई व्यय न किया जायेगा या न प्राधिकृत किया जायेगा :–

(i) नगर पंचायत के किसी वार्ड के मामले में बीस हजार रूपये;

(ii) नगर परिषद् के किसी वार्ड के मामले में चालीस हजार रूपये;

(iii) नगर निगम के किसी वार्ड के मामले में जिसकी आबादी 4000–10000 हो, साठ हजार रूपये;

(iv) नगर निगम के किसी वार्ड के मामले में जिसकी आबादी 10001–20000 हो, अस्सी हजार रूपये;

(v) मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के मामले में संबंधित नगर निकाय हेतु वार्डवार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक के आधी होगी।

(vi) कोई अभ्यर्थी जिसने या तो स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा उपर्युक्त राशि से अधिक व्यय किया है तथा निर्वाचन में किये गये सभी खर्चों का अलग एवं सही ब्योरा नहीं रखा

है, या परिणाम के घोषणा के तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, विधि के अनुसार दंडित किये जाने योग्य होगा।

25. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 101 का संशोधन।–
उक्त नियमावली के नियम 101 का उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–
अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा परिशिष्ट–1 में उल्लिखित प्रपत्र में निर्वाचन व्यय लेखा संधारित किया जायेगा। इस हेतु निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पंजी सभी संबंधित अभ्यर्थी को दी जायेगी।

26. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 113 का संशोधन।–
उक्त नियमावली के नियम 113 के उप नियम (1) में शब्द ''वार्ड'' शब्द ''वार्ड/स्थान'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

27. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 114 का संशोधन।–
उक्त नियमावली का नियम 114 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
उप चुनाव।–जब नगरपालिका के लिए निर्वाचित किसी मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद का स्थान रिक्त हो जाये अथवा रिक्त घोषित कर दिया जाये अथवा नगरपालिका में उसका चुनाव रद्द घोषित हो जाये, तब जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग को सूचित करेगा। आयोग रिक्त स्थान को भरने निमित्त अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन कार्रवाई करेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(ह०) 19.4.2022
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–10/न0वि0/निर्वाचन–03/2022– 1081 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक– 19-04-2022
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई0–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।
उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(ह०) 19.4.2022
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–10/न0वि0/निर्वाचन–03/2022– 1081 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक– 19-04-2022
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) 19.4.2022
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–10/न0वि0/निर्वाचन–03/2022– 1081 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक– 19-04-2022
प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) 19.4.2022
सरकार के अवर सचिव।

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department

Notification

No. 10/na.vi./election-03/2022- 1081 **/UDHD, Patna, dated-** 19-04-2022

The Governor of Bihar makes the following Bihar Municipal Election (Amendment) Rules, 2022 for due conduct of Municipal Election under section 14 of Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) :-

1. Short title, Extent and commencement:-

(1) These rules shall be called "Bihar Municipal Election (Amendment) Rules 2022."

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Amendment of Rule 2. of the Bihar Municipal Election Rule 2007:-

(i) Rule 2 (e) of the aforesaid rules shall be substituted by the following:-

2 (e) "General election" means election for the post of Councillor under sub-section (6) of section 12 of the Act and election for the post of the Chief Councillor and Deputy Chief Councillor under sub-section (1) of section 23.

(ii) Rule 2 (h) of the aforesaid rules shall be substituted by the following:-

"Form" means a form set out in these Rules, which may be subject to change if so required by the State Election Commission. Form 11, form 12, form 13, form 14 (a), form 14 (b), form 15, form 16, form 17, form 18 (a), form 18 (b), form 19, form 20, form 23 (a), form 23 (b), form 24 (a), form 24 (b) and form 26 of the rules shall be amended accordingly as enclosed form.

3. Amendment of Rule 30 of the Bihar Municipal Election Rule 2007:-

(1) The word "Chief Councillor" in Rule 30 of the said Rules shall be substituted by "Chief Councillor" and "Deputy Chief Councillor".

4. Amendment of Rule 40 and cause Title of Part IV of the Bihar Municipal Election Rules 2007:-

In cause title of part IV and sub-rule (1) of Rule 40 of the said rules word "Chief Councillor", shall be substituted by Chief Councillors, Deputy Chief Councillor and Councillors.

5. Amendment of Rule 42 of the Bihar Municipal Election Rules 2007:-

(i) Sub rule 2 of Rule 42 of the said rules shall be substituted by the following:-

Any person whose name is registered in the electoral of the ward and who is entitled to vote and is not subject to any disqualification as a candidate under the Act may subscribe as proposer or seconder as many nomination papers as there are vacancies to be filled in the Municipality; but no more.

(ii) Sub rule 3 of the rule 42 of the said rule shall be substituted by the following:-

A person can not be a proposer or a seconder for more than one candidate for the specific post.

(iii) Sub rule 4 of rule 42 of the said rules shall be substituted by the following:-

A person who himself is a candidate for a particular ward can not be a proposer or a seconder for any other candidate from that ward. The Chief Councillor and The Deputy Chief Councillor can not be a proposer or seconder for other candidate for the particular post.

(iv) Sub rule 5 of the rule 42 of the said rules shall be substituted by the following:-

A proposer or a seconder for a candidate of a particular ward can not himself be a candidate for election from the said ward. A proposer or a seconder for the post of the Chief Councillor and the Deputy Chief Councillor can not himself be a candidate for that particular post.

6. Amendment of Rule 43 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

(i) Sub rule (1) (d) of rule 43 of the said rules shall be substituted by the following:-

A challan of Government Treasury or a Nazir Receipt showing a deposit of a sum of Rupees two hundred, Rupees five hundred and Rupees one Thousand of the candidate for the post of a councillor from the Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Backward Classes/Woman at Nagar Panchayat, Municipal Council and Municipal Corporation respectively and a sum of Rupees four hundred, Rupees one thousand and rupees two thousand respectively for the post of councillor from Nagar Panchayat, Municipal Council and Municipal Corporation, if a candidate is not a member of such classes. Likewise a challan of Government Treasury or a Nazir Receipt showing a deposit of a sum of Rupees four hundred, Rupees one thousand and Rupees two Thousand for a member of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Backward Classes/Woman for the post of Chief Councillor / Deputy Chief Councillor and Rupees eight hundred, Rupees two thousand and Rupees four thousand respectively for the post of Chief Councillor, Deputy Chief Councillor in Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Nagar Nigam, if a candidate is not a member of such classes.

(ii) The proviso to sub-rule (2) of rule 43 of the said rules shall be substituted by the following:-

Provided that where more than one nomination paper has been filed by a candidate for election from the same ward, he shall not be required to pay more than one fee. Where more than one nomination paper has been filed by a candidate for election to the post of Chief Councillor and Deputy Chief Councillor, he shall not be required to pay more than one fee.

7. Amendment of Rule 46 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

(i) Sub rule (1) (ii) of rule 46 of the said rules shall be substituted by the following:-

That, the name of the proposal or the seconder for the post of a Councillor is not registered on the electoral roll of the ward for which the candidate is nominated and the name of the proposer or the seconder for the post of Chief Councillor / Deputy Chief Councillor is not registered on the electoral roll of any ward of the municipality.

(ii) Sub rule (1) (vii) (d) of the said rule 46 shall be substituted by the following:-

Challan or receipt of fee deposited / receipt of deposit through online mode prescribed by the Commission.

8. Amendment of Rule 50 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

In Sub rule (1) of rule 50 of the said rules the words "in any ward" shall be deleted.

9. Amendment of Rule 51 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Sub rule (3) of rule 51 of the said rules shall be substituted by the following:-

If there is no duly nominated candidate of election from a ward / municipality, the State Election Commission shall, in the manner prescribed under rule 40 call upon that ward / municipality to fill up the seat before such date as may be appointed in this behalf by the State Election Commission.

Provided that where any vacancy having already been called upon under this rule fails to elect a person to fill the vacancy, the Returning Officer shall not be bound to call again upon any vacancy to elect a person until such date as the State Election Commission may specify in this behalf.

10. Amendment of Rule 53 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

In sub rule (1) and (2) of said Rule 53, the word "Returning Officer" appearing in the said rules shall be substituted with the words "District Returning Officer (Municipality).

11. Amendment of Rule 56 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

In sub rule (1) of 56 the word 'Election Agent' shall be substituted by the 'Polling Agent.'

12. Amendment of Rule 63 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

In the said rule, sub-rule (1) of rule 63 shall be substituted by the following:-

The Presiding Officer shall establish the identity of a voter on the basis of records/documents/certificates/electronic medium as directed by the Commission.

13. Amendment of Rule 64 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

In Rule 64 of the said rules, the words "Electronic Photo Identity Card" occurring in the said rules shall be substituted with the words "Voter's Photo Identity Card."

14. Amendment of Rule 69 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

(i) Sub rule (5) of the rule 69 of the said rules shall be substituted by the following:-

Any reference in respect of left hand index finger of a voter made under these rules or sub rule (2) shall be deemed to be a reference to any finger of the left hand, if he does not have his left index finger; if he does not have any finger in his left hand, reference shall be deemed to be a reference to the index or other finger of the right hand. And if all the fingers of the both hands are missing, the end part of the left hand or the right hand shall be construed as a reference, as the voter proposes.

(ii) Sub-rule (6) (ii) of the rule 69 of the said rules shall be substituted by the following:-

In deciding the right of a person to use a ballot paper for the purpose of voting at an election, the Presiding Officer may over look merely clerical or printing errors occurred in any entry in the electoral roll.

15. Amendment of Rule 70 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Sub rule (1) (a) of rule 70 of the said rules the word "any one" shall be omitted.

16. Amendment of Rule 71 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Sub rule (1) of rule 71 of the said rules shall be substituted by the following:-

If the Presiding Officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmity an elector is unable to recognize the symbol on the ballot paper or to make a mark thereon without any assistance, the Presiding Officer shall permit the elector, to take with him a companion of not less than 18 year of age to the voting compartment for recording the vote on the ballot paper or mark the vote in case of the electronic voting machine being used on his behalf in accordance with his wishes and, for folding the ballot paper so as to keep secret the vote and inserting it into the ballot box.

Provided that no person shall be allowed to act as an associate of more than one voter at any polling station on the same day;

Provided also that if a person is permitted to be an associate on the day of election under these rules, he shall make a declaration in Form 18(a) to the person that he will keep the vote of the voter cast by him secret and that he has not worked as an associate to any other voter at any other polling station on that day.

17. Amendment of Rule 73 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

In sub-rule (1) of rule 73 of the said rule the word "Candidate, Election Agent or Polling Agent" shall be substituted by the word "Candidate or Election Agent or Polling Agent.

18. Amendment of Rule 78 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Rule 78 of the said rules shall be substituted by the following:-

Account of Ballot Paper and Paper Seal.- At the close of voting, the Presiding Officer shall prepare the ballot paper account in form 23(a) and paper seal

account in form 23(b) and shall keep them in separate envelopes and upon them would write "Ballot Paper Account" / "Paper Seal Accounts." In case of voting through electronic voting machine, the account of ballot paper and paper seal will be prepared in Form 23 (c).

19. Amendment of Rule 81 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

(i) Rule 81 (g) (ii) of the said rules shall be substituted by the following:-

After the counting of the ballot papers contained in all the ballot boxes used at a polling station is completed, the Returning Officer will make ward wise entries in the result sheet in Form 24 (b) and declare their details. The ward-wise consolidated statement of votes received in Form 24 (b) of the Chief Councillor / Deputy Chief Councillor will be prepared in Form 24 (c).

(ii) Rule 81 (h) of the said rules shall be substituted by the following:-

Separate bundle of valid ballot papers and ballot papers under objection of each candidate will be made and those bundles will be kept in a separate packets which will be sealed by the seal of the District Returning Officer and on this such candidate, his election agent or counting agent, if any and desiring to put their seal on the bundles and packets, they can also put their seal and the following details will be mentioned, as under:

(i) Name of the post;

(ii) Name of the ward;

(iii) Particulars of the polling station where the ballot papers have been used; And

(iv) Date of counting.

20. Amendment of Rule 85 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Rule 85 of the said rules shall be substituted by the following:-

Procedure to be followed in case of Electronic Voting Machine / e-voting being conducted.:- (1) **Electronic Voting Machine-** In case of use of electronic voting machine for voting, recording and counting of votes, seal of the machine and the procedure to be followed for declaration of result etc. shall be adopted as instructed by the State Election Commission;

Provided that, as far as practicable, where the Electronic Voting Machine will be used, a table of the same type as displayed in the data relating to various candidates in the control unit shall be prepared and a hard copy of all the data will be made on that copy. A gauze envelope will be placed with the signature of the candidate or his election agent and after sealing it with a secret seal specially supplied to each Returning Officer by the State Election Commission and it will be kept in the custody of District Election Officer. The action of the custody and destruction of the said sealed envelope will be done under rule 89. The secret seal supplied by the commission will definitely be returned to the Commission within 36 hours of the declaration of the result.

(2) **e-voting-**In case of use of electronic devices, other than electronic voting machines, such as laptops, palmtops, android / IOS based Smart Phones, servers

etc; voting, recording and counting of votes, recorded voting stored on the server procedure of encrypted security for locking by use and declaration of result will be specified by the State Election Commission.

Provided that as far as practicable, where electronic devices, other than electronic voting machines will be used for voting, a hard copy of all the data shall be made in the same manner as the data relating to different candidate is displayed in the server and on that copy, and the signatures of all the present candidates or their Election Agent and Returning Officer will be kept in a gauzed envelope. At the same time the said data will also be copied to the external hard disc in an uneditable format. The signed hard copy and the copied hard-disc together with the secret seal specially supplied by the State Election Commission to each Returning Officer shall be kept in the custody of the District Returning Officer. The custody and destruction of the said seal envelope will be done under rule 89. The secret seal supplied by the Commission will be returned to the Commission without fail within 36 hours of the declaration of the election result.

21. Amendment of Rule 87 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Rule 87 of the said rules shall be substituted by the following:-

Publication of the names of the elected Chief Councillors, Deputy Chief Councillors and Councillors.- The District Election Officer shall forth with cause the name of the Chief Councillor, Deputy Chief Councillors and all the Councillors elected in the municipality reported to him under sub-rule (1) of Rule 86, to be published in his office, in the office of the Sub-Divisional officer, in the office of municipality and in such other places as he may think fit, and shall communicate a copy or the list of names so published to the state govt. for publication in the official gazette and to the State Election commission.

22. Amendment of Rule 89 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Sub-rule (2) of rule 89 of the said rules shall be substituted by the following:-

Other documents relating to the election shall be preserved until the next General Election and shall be destroyed subject to the orders of the State Election Commission or the authority concern under section 476 of the Act.

23. Amendment of Rule 97 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Rule 97 of the said rules shall be substituted by the following:-

In case of an indirectly elected Chief Councillor and Deputy Chief Councillor to fill a casual vacancy in a Municipality, the procedure prescribed in Rules 93 to 96 shall apply.

24. Amendment of Rule 100 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Sub-rule (2) of rule 100 of the said rules shall be substituted by the following:-

No candidate or his election agent shall spend or be authorized to spend more than the following amount in the conduct and management of election in any ward:-

(i) Twenty thousand rupees in the case of a ward of a Nagar Panchayat;

(ii) Fourty thousand rupees in the case of a ward of the Municipal Council;

(iii) In the case of a ward of a Municipal Corporation having a population of 4000-10000, Sixty thousand rupees;

(iv) In the case of a ward of a Municipal Corporation having a population of 10001-20000, Eighty thousand rupees;

(v) In the case of Chief Councillor and Deputy Chief Councillor, the ward-wise fixed amount for the concerned body will be half of the multiplier of the total number of wards of that body.

(vi) any candidate who has incurred expenditure in excess of the amount aforesaid either by himself or by his election agent and has not kept a separate and true account of all the expenses incurred in the election, or fails to present the account of the election expenditure within a period of thirty days from the date of declaration of the result, shall be liable to be punished as per law.

25. Amendment of Rule 101 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Sub rule (2) of rule 101 of the said rules shall be substituted by the following:-

The election expenditure account will be maintained by the candidate or his election agent in the form mentioned in Appendix-1. For this, a register will be made available to all the concerned candidate by the Returning Officer.

26. Amendment of rule 113 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

Sub-rule (1) of rule 113 of the said rules the word "Ward" shall be substituted with the word "Ward / Seat".

27. Amendment of Rule 114 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007.-

In the said rules, in rule 114 shall be substituted by the following :-

Bye-election- When the seat of any Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and Councillor elected to the Municipality becomes vacant or is declared vacant or an election to the seat is declared cancel in the Municipality, then the District Election Officer shall inform the Commission of that. The Commission will take action to fill up the vacancy subject to the provisions of the Act and these rules.

By order of the Governor of Bihar

19.4.2022

(Ram Sewak Prasad)

Under secretary to the Government.

Memo No.- 10/na.vi./election-03/2022- 1081 /UDHD, Patna, dated- 19.04.2022

Copy forwarded to the officer in charge, e-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication in next extraordinary issue of the Bihar Gazette.

19.4.2022

Under secretary to the Government.

Memo No.- 10/na.vi./election-03/2022- 1081 /UDHD, Patna, dated-19-04-2022

Copy forwarded to Chief Secretary, Bihar/Principal Secretary to the Chief Minister, Bihar/All Departments and Head of the Department/All Divisional Commissioner/All District Magistrate/Secretary, State Election Commission, Bihar, Patna/All Municipal Commissioner, Municipal Corporation/All Executive Officer, Nagar Parishad and Nagar Panchayat for information.

सेवक
19.4.2022

Under secretary to the Government.

Memo No.- 10/na.vi./election-03/2022- 1081 /UDHD, Patna, dated-19-04-2022

Copy forwarded to Secretary, Bihar Legislative Council/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Chief Minister Secretariat/Registrar, Patna High Court/Advocate General, Bihar, Patna for information.

सेवक
19.4.2022

Under secretary to the Government.

प्रपत्र– 11

(देखें नियम– 41)

सूचना का प्रपत्र

* क. .... जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत ....के .... (वार्डो की कुल संख्या) वार्डो के पार्षदों का निर्वाचन दिनांक .... को किया जाना है।

* ख. ....जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/ *नगर पंचायत के *उपमुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद का निर्वाचन दिनांक .... को किया जाना है।

मैं (निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम) ....

.... निर्वाची पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :–

आम सूचना

अनुक्रमांक	पदनाम	वार्ड संख्या	निर्वाचित किये जाने वाले पदों की संख्या	आरक्षित /अनारक्षित	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2	3	4	5	6

(ii) नाम निर्देशन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय (स्थान का नाम) .... अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में (सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम) .... .को (स्थान का नाम).. पर दाखिल किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र दिनांक (नाम निर्देशन पत्र दाखिला की अंतिम तिथि).. को अथवा उसके पूर्व 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) नाम निर्देशन का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक .... से दिनांक................................ तक................................. बजे से ....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दिनांक .... को ....
(स्थान का नाम)
पर 11.00 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ....को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक (स्थान का नाम) .... पर दाखिल किया जा सकता है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न से .... बजे अपराह्न तक होगी।

(vii) दिनांक .... को पूर्वाह्न .... बजे से .... पर मतों की
(स्थान का नाम)
गणना सम्पन्न की जाएगी।

स्थान –

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि –

पता ....

टिप्पणी– 1. उपमुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद की स्थिति में स्तम्भ–3 में 'लागू नहीं' अंकित किया जाए।
2. आरक्षित कोटि की स्थिति में स्तम्भ–5 में आरक्षित कोटि का नाम उल्लेख किया जाए।
3. महिला के लिए आरक्षण की स्थिति में स्तम्भ– 6 में 'महिला' शब्द का उल्लेख किया जाए।

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र— 12

(देखें नियम— 42)

नाम निर्देशन का प्रपत्र

नाम निर्देशन पत्र

* नगर निगम/* नगर परिषद/* नगर पंचायत.................................से वार्ड संख्या .... से पार्षद

* नगर निगम/* नगर परिषद/* नगर पंचायत .... से उप मुख्य पार्षद

* नगर निगम/* नगर परिषद/* नगर पंचायत .... से मुख्य पार्षद

मैं (प्रस्तावक का नाम) ....* नगर निगम/* नगर परिषद/* नगर पंचायत ....के उपर्युक्त पद के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/माता/पति का नाम ....

उम्र .... पता ....

अभ्यर्थी का नाम वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची के क्रमांक ....पर दर्ज है।

प्रस्तावक का नाम ....

प्रस्तावक का नाम वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची के क्रमांक .... पर दर्ज है।

प्रस्तावक का हस्ताक्षर ....

समर्थक का नाम ....

समर्थक का नाम वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची के क्रमांक.......................................पर दर्ज है।

समर्थक का हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी की घोषणा

एतद् द्वारा मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूँ।

तिथि — अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

क्रमांक ....

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय (स्थान का नाम) .... में दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न अभ्यर्थी द्वारा दिया गया।

तिथि — निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने वाले निर्वाची पदाधिकारी का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की अर्हता का परीक्षण कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :–

स्थान–

तिथि– निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

....छिद्रण..

नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक ....

श्री/सुश्री/श्रीमती ....,

जो .... (नगर निकाय का नाम) से * पार्षद पद हेतु वार्ड संख्या ..../ * उपमुख्य पार्षद/* मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया। इस नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न (स्थान का नाम) .... में की जाएगी।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र– 13

(देखे नियम– 48(4))

अभ्यर्थिता वापसी की सूचना

सेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी

* नगर निगम/* नगर परिषद/* नगर पंचायत .... ।

मैं ....

पिता/पति .... जो * नगर निगम/* नगर परिषद/* नगर पंचायत ....के * पार्षद पद हेतु वार्ड सं0.................................... /* उप मुख्य पार्षद/* मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्देशित अभ्यर्थी हूँ, एतद द्वारा सूचित करता हूँ/ करती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूँ।

तिथि–

स्थान – अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

इस वापसी की सूचना मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया है।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

वापसी की सूचना के लिए रसीद

(सूचना देने वाले अभ्यर्थी को दिये जाने के लिए)

श्री/सुश्री/श्रीमती ....,
जो * नगर निगम/* नगर परिषद/* नगर पंचायत ....
* पार्षद पद हेतु वार्ड सं0 ..../* उपमुख्य पार्षद/* मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी है, द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में दी गई जिसकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

तिथि – निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र– 14 (क)

(देखें नियम– 48(3))

विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

जिला .... * नगर निगम/* नगर परिषद/*नगर पंचायत..

* नगर निकाय ....से वार्ड संख्या .... से पार्षद

* नगर निकाय .... से उप मुख्य पार्षद

* नगर निकाय .... से मुख्य पार्षद

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4

तिथि–

स्थान –

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र– 14 (ख)

(देखें नियम– 50(3))

अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात लड़नेवाले वैध अभ्यर्थियों की सूची

जिला .... * नगर निगम/* नगर परिषद/* नगर पंचायत.......................................

* नगर निकाय ....से वार्ड संख्या .... से पार्षद

* नगर निकाय .... से उप मुख्य पार्षद

* नगर निकाय .... से मुख्य पार्षद

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित निर्वाचन प्रतीक
1	2	3	4	5

तिथि–

स्थान –

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र– 15

(देखें नियम– 54)

निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति

जिला .... * नगर निगम/* नगर परिषद/* नगर पंचायत...

* नगर निकाय ....से वार्ड संख्या .... से पार्षद

* नगर निकाय .... से उप मुख्य पार्षद

* नगर निकाय .... से मुख्य पार्षद

मैं (अभ्यर्थी का नाम) .... उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ, आज की तारीख से एतद् द्वारा श्री /सुश्री/श्रीमती... (अभिकर्त्ता का नाम एवं पता) को अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान :–...............................

तारीख :– .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान :–...............................

तारीख :– .... निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुमोदित

स्थान :–...............................

तारीख :– .... निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र– 16

(देखे नियम–55)

मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति

जिला .... * नगर निगम / * नगर परिषद / * नगर पंचायत..

* नगर निकाय ....से वार्ड संख्या .... से पार्षद

* नगर निकाय .... से उप मुख्य पार्षद

* नगर निकाय .... से मुख्य पार्षद

* मैं (अभ्यर्थी का नाम) ....
जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ/
* मैं (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम) ....
श्री / सुश्री / श्रीमती..जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं, का निर्वाचन अभिकर्त्ता हूँ, एतद् द्वारा श्री / सुश्री / श्रीमती .... (अभिकर्त्ता का नाम एवं पता) को मतदान केन्द्र संख्या .... स्थान .... पर अपने मतदान अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ।

स्थान : ....
तारीखः ....
समय : ....

*अभ्यर्थी / *निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

(मतदान अभिकर्त्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा)

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा / करूँगी।

स्थान : ....
तारीख : ....

मतदान अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र– 17

(देखे नियम–57)

गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति

जिला .... * नगर निगम / * नगर परिषद / * नगर पंचायत..

* नगर निकाय ....से वार्ड संख्या .... से पार्षद

* नगर निकाय .... से उप मुख्य पार्षद

* नगर निकाय .... से मुख्य पार्षद

* मैं (अभ्यर्थी का नाम) ....

जो ....उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ/

* मैं (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम) ....

श्री / सुश्री / श्रीमती..जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं, का निर्वाचन अभिकर्त्ता हूँ, एतद् द्वारा श्री / सुश्री / श्रीमती .... (अभिकर्त्ता का नाम एवं पता) को मतगणना के दौरान .... स्थान पर अपने गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ।

स्थान : ....

तारीख :.............................

समय : ....

* अभ्यर्थी / * निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

मैं गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान – ....

तारीख –.................................

गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

(गणन अभिकर्त्ता की घोषणा जिसपर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा)

मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा / करूँगी।

स्थान : ....

तारीख : ....

गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र– 18 (क)

(देखे नियम–71)

दृष्टिहीन / निःशक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या ....

से पार्षद / उप मुख्य पार्षद / मुख्य पार्षद के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या ....

स्थान ....

मैं एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैं .... (मतदाता का नाम) के सहयोगी के रूप में उसकी तरफ से दिये गये मत को गुप्त रखूँगा / रखूँगी तथा मैंने किसी मतदान केन्द्र पर किसी दूसरे मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।

सहयोगी का हस्ताक्षर

पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर

स्थान : ....

तारीख : ....

प्रपत्र– 18 (ख)

(देखे नियम–71)

दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाताओं की सूची

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या ....

से पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या .:...............................

स्थान ....

क्र0	मतदाता सूची का क्रमांक	मतदाता का पूरा नाम	सहायक का पूरा नाम	सहायक का पूरा पता	सहायक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6

स्थान ....

तारीख............................ पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र– 19

(देखे नियम–72)

निविदत्त मतों की सूची

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या ....

से पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या ....

स्थान ....

क्र0	मतदाता का नाम	मतदाता सूची का क्रमांक	उस वार्ड की संख्या जिसकी मतदाता सूची है	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक	मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6

स्थान ....

तारीख............................ पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र– 20
(देखे नियम–73)

आक्षेपित मतों की सूची

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... से पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या ....
स्थान : ....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक	उस वार्ड की संख्या जिसकी मतदाता सूची है	जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या. अंगूठे का निशान	जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता
1	2	3	4	5	6

यदि कोई पहचानने वाला है, तो उसका नाम	आक्षेपकर्त्ता का नाम	राशि जमा करने पर आक्षेपकर्त्ता का हस्ताक्षर	पीठासीन पदाधिकारी का आदेश
7	8	9	10

स्थान ....
तारीख ....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र– 23 (क)

(देखे नियम–78)

मतपत्र लेखा

.... नगरपालिका के * पार्षद / * उप मुख्य पार्षद / * मुख्य पार्षद के लिए निर्वाचन।

वार्ड सं0 ....
मतदान केन्द्र संख्या ....
स्थान : ....

	अनुक्रमांक	कुल संख्या
1. मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या	................से.............	....
2. उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या	................से.............	....
3. उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या (1–2 = 3)		
4. उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र क. रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या ख. निविदत्त मतपत्रों की संख्या ग. मुद्रण / लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या योग (क + ख + ग)		....
5. मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या (3 - 4 = 5)		....

स्थान ....
तारीख ....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र– 23 (ख)

(देखे नियम–78)

पेपर सील लेखा

.... नगरपालिका के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद के लिए निर्वाचन।

वार्ड सं0 ....

मतदान केन्द्र संख्या ....

मतदान केन्द्र का नाम : ....

भाग (एक)

क्र0	व्यवहृत मतपेटी की संख्या	व्यवहृत पेपर सील की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4

भाग (दो)

		अनुक्रमांक	कुल संख्या
1.	प्राप्त पेपर सील की संख्या	............से.............	....
2.	व्यवहृत पेपर सील की संख्या	............से.............	....
3.	क्षतिग्रस्त पेपर सील, यदि हो, की संख्या	............से.............	....
4.	अव्यवहृत पेपर सील, जिसे निर्वाची पदाधिकारी को वापस किया गया [1 - (2 + 3)]	............से.............	....

मतदान अभिकर्त्ता/अभिकर्त्ताओं का हस्ताक्षर

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

स्थान ....

तारीख ....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र– 23 (ग)

(देखे नियम–78)

ई.वी.एम. हेतु "मतपत्र एवं पेपर सील" लेखा

.... नगरपालिका के * पार्षद / * उप मुख्य पार्षद / * मुख्य पार्षद के लिए निर्वाचन।

वार्ड सं0 ....
मतदान केन्द्र संख्या ....
मतदान केन्द्र का नाम : ....

मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या –

(क) मतदान यूनिट संख्या (Ballot Unit No.) ....

(ख) नियंत्रण यूनिट संख्या (Control Unit No.) ....

1. मतदान केन्द्र के लिए निर्धारित निर्वाचकों की कुल संख्या ....

2. मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या ....

3. मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ....

4. मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या ....

5. वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या ....

6. (क) क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड न करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा–मत 4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की संख्या (2 – 3 – 4) से मेल करती है या उसमें कोई अंतर पाया गया है।

   (ख) अगर कोई अंतर है, तो उसकी संख्या – ....

7. (क) निविदत्त मतपत्र के रूप में प्रयोग के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या .... क्रम संख्या .... से .... तक

   (ख) उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 72 के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए ....

   (ग) निविदत्त मतपत्रों की संख्या ....क्रम संख्या .... से .... तक

   (घ) प्रयोग के पश्चात बचे मतपत्रों की संख्या क्रम संख्या ....से ....तक

8. आपूरित पेपर सीलों का लेखा

   (क) आपूरित पेपर सील की कुल संख्या –

   (ख) इनकी क्रम संख्या .... से .... तक

   (ग) प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या ....

   (घ) रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या {मद (क) में से मद (ग) घटाईए}

   (ङ) क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की क्रम संख्या, यदि कोई हो ....

मतदान अभिकर्त्ता/अभिकर्त्ताओं का हस्ताक्षर

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

7. .... 8. ....

9. .... 10. ....

11. .... 12. ....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पदनाम :

तिथि ....
स्थान ....
समय ....

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र– 24 (क)
(देखे नियम–81 (ङ))

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों की गणना का विवरण

जिला .... *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत..

* नगर निकाय ....से वार्ड संख्या .... से पार्षद

* नगर निकाय .... से उप मुख्य पार्षद

* नगर निकाय .... से मुख्य पार्षद

वार्ड संख्या ....
मतदान केन्द्र संख्या ....
टेबुल संख्या : ....

चक्र संख्या : ....

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

क. विधिमान्य मतों की कुल संख्या :–
ख. प्रतिक्षेपित मतों की संख्या :–
ग. डाले गए मतों की कुल संख्या (क + ख) :–
मतगणना का स्थान ....
तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता द्वारा निम्न प्रपत्र में हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर	निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर	गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र– 24 (ख)

(देखे नियम–81 (छ)(ii))

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम पत्र

जिला .... *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत....................................

* नगर निकाय ....से वार्ड संख्या .... से पार्षद

* नगर निकाय .... से उप मुख्य पार्षद

* नगर निकाय .... से मुख्य पार्षद

वार्ड संख्या ....

क्रमांक	मतदान केन्द्र संख्या ➡ / अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या			
					योग
क.	विधिमान्य मतों की कुल संख्या				
ख.	प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या				
ग.	डाले गए मतों की कुल संख्या (क + ख)				

**मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि –

नाम ....

पता ....

पार्षद पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है।

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी /निर्वाची पदाधिकारी
द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

**केवल पार्षद पद हेतु निर्वाचन परिणाम की घोषणा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस प्रपत्र में की जाएगी।

प्रपत्र – 24 (ग)

(नियम 81 छ (ii) देखिये)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र

जिला .... नगर निकाय का नाम ....

* उपमुख्य पार्षद / * मुख्य पार्षद के लिए निर्वाचन।

क्रमांक		अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या						
	वार्ड सं0 → / अभ्यर्थी का नाम							योग
1.								
2.								
(क) विधिमान्य मतों की संख्या –								
(ख) प्रतिक्षेपित मतों की संख्या –								
(ग) डाले गये मतों की संख्या – (क + ख)								

**मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि –

नाम ....

पता ....

उप मुख्य पार्षद/ मुख्य पार्षद पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है।

स्थान–

दिनांक–

सहायक निर्वाची पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम –

पद नाम –

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

**केवल पार्षद पद हेतु निर्वाचन परिणाम की घोषणा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस प्रपत्र में की जाएगी।

प्रपत्र– 26

(नियम 87 देखिये)

निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 87 के अनुसरण में मैं एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित नगर पंचायत/नगर परिषद्/नगर निगम के पार्षद/उपमुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

<u>अनुसूची</u>

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			नगर पंचायत/नगर परिषद्/ नगर निगम जिससे पद संबंधित हो (वार्ड संख्या सहित)
	पद	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला/ अन्य	
1	2	3	4	5

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान – ....

तारीख –..........................

टिप्पणी:– (1) यदि पद आरक्षित कोटि के अतंर्गत आता है तब स्तंभ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाए, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग। यदि पद अनारक्षित कोटि के अंतर्गत आता है, तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाए।

(2) महिला हेतु पद आरक्षित होने की स्थिति में स्तंभ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाए अन्यथा "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।